न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :—भवानी सिंह, (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 35/2020

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
इब्राहीम शाह पुत्र अब्दुल शाह जाति मुसलमान फकीर निवासी भावी तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :—प्रार्थी की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता
अप्रार्थी सरकारी पैरोकार

निर्णय दिनांक :—

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की पु”तैनी सयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम भावी एस.बी. के खसरा नम्बर 1687/5553 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 1710 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नम्बर 1719 रकबा 3 बीघा तथा भावी जे.बी. के खसरा नम्बर 1720 रकबा 7 बीघा आई हुई है। प्रार्थी की उक्त सयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रार्थी के पिता का फौतेदगी म्यूटे”ान भरते समय प्रार्थी का इब्राहीम शाह के स्थान पर भूलव”ा नाम भवरू खॉ दर्ज हो गया है। प्रार्थी का वि”ाुद्ध नाम इब्राहीम शाह है जिसकी ताईद में प्रार्थी का रा”ानकार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, भामा”ााह कार्ड, पहचान पत्र, आधारकार्ड, रा”ानकार्ड दस्तावेजी रूप से प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी अनपढ़ है तथा राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम का गलत इन्द्राज बाबत् प्रार्थी को हाल ही में जानकारी दिनांक 11.01.2020 को हुई जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री के समक्ष अन्दर म्याद पे”ा है। अन्त में प्रार्थना पत्र पे”ा कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का वि”ाुद्ध नाम इब्राहीम शाह पुत्र अब्दुल शाह के ग्राम भावी एस.बी. व ग्राम भावी जे.बी. की वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अंकन किये जाने हेतु अप्रार्थी को आदे”ाित किया जाकर पृथक से तहरीर जारी फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी को सम्मन बाद तामिल पे”ा हुए। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पे”ा किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की पु”तैनी खातेदारी भूमि ग्राम भावी एस. बी. के खसरा नम्बर 1687/5553, 1710, 1719 तथा ग्राम भावी जे.बी. के खसरा नम्बर 1720 आई हुई है। प्रार्थी की सयुक्त खातेदारी में विरासत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:17 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरकरण भरते समय प्रार्थी के पिता का नाम इब्राहीम शाह के स्थान पर भवरू खाँ दर्ज हो गया। प्रार्थी द्वारा सरकारी दस्तावेज रा"ानकार्ड इत्यादि प्रस्तुत कर अपने पिता का नाम भवरू खॉ के स्थान पर इब्राहीम शाह करवाना चाहता है। अन्त मं जवाब प्रार्थना पत्र पे"ा कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि प्रार्थी का नाम इब्राहीम शाह पुत्र अब्दुल शाह किया जाता है तो भूमिधारी को कोई आपति नही है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अपनी सहकारी किसान कार्ड की डायरी, ड्राईविंग लाईसेन्स, भामा"ााह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड, परिवार रा"ानकार्ड की प्रतिये पे"ा की। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से तथा सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब से यह विदित होता है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता अब्दुल शाह फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटे"ान से दर्ज किया गया तथा प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र में स्व. अब्दुल शाह के वारिसान को पक्षकार नही बनाया है तथा प्रार्थी का नाम जरिये फौतेदगी म्यूटे"ान से गलत इन्द्राज होने के कारण उक्त म्यूटे"ान को चैलेन्ज किया जाना आव"यक है लेकिन प्रार्थी द्वारा म्यूटे"ान को चैलेन्ज नही कर सिर्फ राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दुरूस्ती चाही है, जो धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किये जाने योग्य है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रअन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम आव"यक पक्षकारों के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल"ुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:17 IST
Reason: SelfAttested